[2018] 14 एस.सी.आर. 893

संजय कुमार झा

बनाम

प्रकाश चंद्र चौधरी और अन्य।

(2018 की सिविल अपील संख्या 11857–11859 आदि) 05 दिसंबर, 2018

[न्यायपीठ आर भानुमति और इंदिरा बनर्जी]

भारतीय संविधान:

अनुच्छेद 226 – क्षेत्राधिकार के तहत – कार्यक्षेत्र – माना जाता है: धारा 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय एक सक्षम प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर अपील में नहीं बैठ सकता है, न ही तथ्य की त्रुटि को ठीक करने और अपने स्वयं के निष्कर्षों को प्रतिस्थापित करने के लिए साक्ष्य की पुन: सराहना कर सकता है – प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब निर्णय न्याय और निष्पक्ष खेल के मौलिक या बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करता है या किसी पेटेंट से ग्रस्त है। गंभीर त्रुटि – यदि अदालत को तथ्यात्मक त्रुटि मिलती है जो निर्णय की जड़ तक जाती है, तो उचित तरीका यह होगा कि संबंधित प्राधिकारी को त्रुटि को सुधारने का अवसर दिया जाए – यह केवल दुर्लभतम मामले में है, जहां तथ्यात्मक त्रुटि इतनी स्पष्ट है कि यह अदालत द्वारा ही पुष्टि योग्य है, कि न्यायालय कर सकता है, देरी और परिणामी इनकार और / या न्याय के गर्भपात को रोकने के लिए, त्रुटि को ठीक करें – यह उच्च न्यायालय का काम नहीं है कि वह खुदरा आउटलेट के डीलर की नियुक्ति के लिए विभिन्न उम्मीदवारों की उपयुक्तता का तुलनात्मक मूल्यांकन करे।

सार्वजनिक वितरण:

डीजल/पेट्रोल आदि के खुदरा बिक्री केन्द्र का आवंटन। – आवंटन को चुनौती देने वाली रिट याचिका – मामले के तथ्यों का मूल्यांकन करने के बाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने कहा कि रिट याचिकाकर्ता डीलरशिप से सम्मानित होने का हकदार था – आदेश के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा खारिज कर दी गई थी – अपील पर, कहा गया: उच्च न्यायालय ने गर्म विवादित तथ्यात्मक मुद्दों का निर्णय लेना शुरू कर दिया, जो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके स्वीकार्य नहीं था – उच्च न्यायालय ने सक्षम अधिकारियों की रिपोर्टों को दरकिनार करने में स्पष्ट रूप से गलती की और एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचे – एकल न्यायाधीश के साथ–साथ उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश रद्द किए जाने योग्य हैं – रिट याचिका खारिज की जाती है।

अपीलों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने कहा:

1.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में उच्च न्यायालय हलफनामों पर, तथ्य के विवादित प्रश्नों पर निर्णय नहीं लेता है। उच्च न्यायालय एक सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर अपील की अदालत के रूप में नहीं बैठ सकता है, न ही तथ्य की त्रुटि को ठीक करने के लिए अपने लिए सबूतों की फिर से सराहना कर सकता है, जो अधिकार क्षेत्र की जड़ तक नहीं जाता है। उच्च न्यायालय आमतौर पर साक्ष्य के आधार पर तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करता है और अपने स्वयं के निष्कर्षों को प्रतिस्थापित करता है, जो उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में किया है। [पैरा 13 और 16] [898–बी, एच; 899–ए]

1.2 संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय प्रशासनिक मामलों में केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब निर्णय न्याय और निष्पक्ष खेल के मौलिक या बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करता है या किसी पेटेंट या प्रमुख त्रुटि से ग्रस्त है। यह सच है कि उच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, पर्याप्त कारणों से कानून की त्रुटि या यहां तक कि तथ्य की त्रुटि को सुधार सकता है, यदि त्रुटि न्याय या निष्पक्ष खेल के मौलिक या बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करती है या यदि त्रुटि स्पष्ट और / या स्पष्ट है, लेकिन अन्यथा नहीं। हालांकि, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां उच्च न्यायालय को एक स्पष्ट तथ्यात्मक त्रुटि मिलती है जो निर्णय की जड़ तक जाती है, कार्रवाई का उचित तरीका संबंधित प्राधिकरण को त्रुटि को सुधारने का अवसर देना होगा। [पैरा 19] [899–एफ–एच]

2.1 प्रतिवादी द्वारा प्रस्तावित भूमि के स्थान के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने में, उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने एक गर्म विवादित तथ्यात्मक मुद्दे का निर्णय लेना शुरू किया, जो उच्च न्यायालय अपने रिट अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए नहीं करता है। अन्यथा भी, एकल पीठ ने जिला मजिस्ट्रेट सहित राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट की अनदेखी करते हुए अपने पूर्वोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती की। [पैरा 13, 14] [898–B–C]

2.2 यह मानते हुए भी कि प्रतिवादी को गलती से शून्य अंक दिए गए थे, एकल पीठ का आदेश इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तर्क की प्रक्रिया का खुलासा नहीं करता है कि प्रतिवादी उच्चतम अंकों वाला उम्मीदवार बन गया था। यह मानने का कोई कारण नहीं था कि प्रतिवादी को ऐसे अंक दिए जाएंगे जो उसे संजय कुमार झा बनाम प्रकाश चंद्र चौधरी पैनल में पहला स्थान दिलाएंगे। यहां तक कि अगर अचल और चल संपत्तियों के संबंध में अंकों की गणना में कोई त्रुटि थी, तो उच्च न्यायालय प्रतिवादी के मामले को पुनर्विचार के लिए संबंधित अधिकारियों को भेज सकता था। [पैरा 15 और 16] [898–ई–एफ; 899–बी]

2.3 भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय किसी खुदरा बिक्री केन्द्र के डीलर की नियुक्ति के लिए विभिन्न उम्मीदवारों की उपयुक्तता का तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं कर सकता है। उच्च न्यायालय को प्रतिवादी की भूमि के स्थान के बारे में तथ्यात्मक प्रश्न का निर्णय नहीं करना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने राजस्व अधिकारियों की रिपोर्टों को दरकिनार करने और एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचने में स्पष्ट रूप से गलती की। [पैरा 21] [900–सी–डी]

2.4 उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता कार्यवाही द्वारा दायर अपील को स्पष्ट रूप से गलत आधार पर खारिज कर दिया है कि प्रतिवादी की भूमि गिरियामा चौक के एक किलोमीटर के दायरे में स्थित पाई गई थी, जबकि अपीलकर्ता की भूमि गिरियामा सर्कल के बाहर स्थित थी, जो रिट याचिका में प्रतिवादी का मामला भी नहीं था। यहां तक कि एकल पीठ ने भी पाया था कि अपीलकर्ता की भूमि गिरियामा के भीतर थी। अपील के तहत निर्णय और आदेश को बनाए नहीं रखा जा सकता है और केवल उसी आधार पर रद्द किया जा सकता है। [पैरा 22] [900–ई–जी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2018 की सिविल अपील संख्या 11857–11859।

पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 24.04.2017 और 14.03.2018 के निर्णय और आदेशों से क्रमशः 2016 के पत्र पेटेंट अपील संख्या 855 और 2017 के सिविल समीक्षा संख्या 215 और 2016 के लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 855 में 2017 के सिविल रिव्यू नंबर 231 में संशोधन किया गया है।

2018 की सिविल अपील संख्या 11860–11862 के साथ।

इस अवसर पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, राणा मुखर्जी, वरिष्ठ एडवोकेट, सुश्री काशुत्रिका कुमुदी, सुश्री एकता प्रधान, शेखर कुमार, श्रीमती प्रिया पुरी, सुश्री विनीता मेघराजानी, रंजय दुबे, विभव श्रीवास्तव, सुश्री रश्मि सचदेवा, सुभ्रो सान्याल, एडवोकेट उपस्थित पक्षों के लिए उपस्थित हुए। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 14 एस.सी.आर.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया– न्यायधीश इंदिरा बनर्जी द्वारा

1. छूट दी गई।

2. ये अपीलें पटना में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित 24.04.2017 के फैसले और अंतिम आदेशों के खिलाफ हैं, जिसमें 2016 के एलपीए संख्या 855 के फैसले और आदेश के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया गया था। प्रकाश चंद्र चौधरी ने 2015 के सीडब्ल्यूजे केस नंबर 2019 होने के नाते इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को 2018 के एसएलपी (सी) नंबर 16902–16904 में अपीलकर्ता होने के

नाते उक्त प्रतिवादी को रिट याचिका में जारी करने के लिए आशय पत्र जारी करने का निर्देश दिया और 14.3.2018 के एक आदेश में उक्त निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदनों को खारिज कर दिया। और 2016 के एलपीए नंबर 855 में 2017 की सिविल समीक्षा संख्या 231।

3. दिनांक 19–08–2011 को इंडियन आयल कार्पोरेशन ने अन्य बातों के साथ–साथ दैनिक जागरण, पटना में एक विज्ञापन जारी किया जिसमें विभिन्न स्थानों पर डीजल, पेट्रोल, लुब्रिकेंट तेल आदि के संबंध में विभिन्न किसान सेवा केन्द्र (खुदरा बिक्री केन्द्र) डीलरशिपों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। खुदरा दुकानों में से एक खुदरा आउटलेट है, जिसके संबंध में 2015 के सीडब्ल्यूजे केस नंबर 2019 के रूप में रिट याचिका दायर की गई थी, जिसे बिहार के कटिहार जिले में गिरियामा चौक, गिरियामा से एक किलोमीटर के भीतर फलका गेराबाड़ी रोड पर स्थित होना था, और बाद में सुविधा के लिए इसे गिरत्यामा रिटेल आउटलेट के रूप में संदर्भित किया जाता है।

4. उक्त विज्ञापन के अनुसरण में, संजय कुमार झा 2018 के एसएलपी (सी) संख्या 16899–16901 (इसके बाद अपीलकर्ता संजय कुमार झा के रूप में संदर्भित) से उत्पन्न अपील में अपीलकर्ता हैं और 2018 के एसएलपी (सी) संख्या 16902–16904 (इसके बाद 'प्रतिवादी प्रकाश चंद्र चौधरी' के रूप में संदर्भित) से उत्पन्न अपील में प्रतिवादी नंबर 1 हैं। गिरियामा रिटेल आउटलेट की डीलरशिप के लिए आवेदन किया।

5. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा प्रकाशित विवरणिका इंगित करती है कि पात्र आवेदक जो व्यक्ति थे, का मूल्यांकन निम्नलिखित व्यापक मापदंडों के आधार पर किया जाना था: –

a. भूमि और बुनियादी ढांचे / सुविधाओं को प्रदान करने की क्षमता (35 अंक)

b. वित्त प्रदान करने की क्षमता (25 अंक)

c. शैक्षिक योग्यता (15 अंक)

d. व्यवसाय उत्पन्न करने की क्षमता (10 अंक) संजय कुमार झा बनाम प्रकाश चंद्र चौधरी

[न्यायधीश इंदिरा बनर्जी]

e. आयु (4 अंक) f. अनुभव (4 अंक)

g. व्यावसायिक क्षमता / कौशल (5 अंक)
h. व्यक्तित्व (2 अंक)

6. ऐसा प्रतीत होता है कि तीन उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार किया गया था जिसमें अपीलकर्ता संजय

कुमार झा को पहले स्थान पर और प्रतिवादी प्रकाश चंद्र चौधरी को दूसरे स्थान पर रखा गया था। अपीलकर्ता संजय कुमार झा को 90.73 अंक और प्रतिवादी प्रकाश चंद्र चौधरी को 89.93 अंक दिए गए।

7. गिरियामा रिटेल आउटलेट अपीलकर्ता सुनील कुमार झा के रूप में पहले सूचीबद्ध उम्मीदवार को आवंटित किया गया था। आवंटन को चुनौती देते हुए, प्रतिवादी प्रकाश चंद्र चौधरी ने 2015 के सीडब्ल्यूजे केस नंबर 2019 के रूप में पटना में उच्च न्यायालय न्यायपालिका में एक रिट याचिका दायर की।

8. दिनांक 8.3.2016 के एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने रिट याचिका को अनुमति दी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को प्रतिवादी प्रकाश चंद्र चौधरी को गिरियामा रिटेल आउटलेट की डीलरशिप देने का निर्देश दिया।

9. विद्वान एकल पीठ ने इस गलत धारणा पर कार्यवाही की कि, विज्ञापन के अनुसार, गिरियामा रिटेल आउटलेट के लिए एकमात्र आवश्यकता यह थी कि खुदरा आउटलेट एक विशेष अच्छी तरह से परिभाषित सड़क पर एक किलोमीटर के भीतर गिरियामा में होना चाहिए।

10. एकल पीठ ने परिसर में कार्यवाही की कि प्रतिवादी प्रकाश चंद्र चौधरी की भूमि, रिट–याचिकाकर्ता होने के नाते, फलका ब्लॉक में गिरियामा मौजा के भीतर निर्विवाद रूप से थी, जैसा कि रिट याचिका में प्रतिवादी नंबर 6 होने के नाते अपीलकर्ता सुनील कुमार झा का मामला था। अदालत ने कहा कि सर्कल अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट कि प्रतिवादी प्रकाश चंद्र चौधरी की जमीन गिरियामा में नहीं थी, न केवल गलत थी, बल्कि स्पष्ट रूप से मिलीभगत थी कि वे अपीलकर्ता संजय कुमार झा का पक्ष लेने की कोशिश कर रहे थे।

11. एकल पीठ ने माना कि अपीलकर्ता संजय कुमार झा को गिरियामा रिटेल आउटलेट की डीलरशिप देने में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की कार्रवाई पूरी तरह से कानून के खिलाफ और स्पष्ट रूप से अवैध थी।

12. इस प्रकार, विद्वान एकल पीठ ने प्रभावी रूप से कहा कि रिट याचिकाकर्ता, यानी प्रतिवादी प्रकाश चंद्र चौधरी को अचल और चल संपत्ति श्रेणी के संबंध में गलत तरीके से शून्य दिया गया था। एकल पीठ ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] के रूप में निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए। पूर्वोक्त, रिट याचिकाकर्ता, जो प्रतिवादी प्रकाश चंद्र चौधरी है, उच्चतम अंकों के साथ उम्मीदवार बन गया था, जो गिरितयामा रिटेल आउटलेट की डीलरशिप से सम्मानित होने का हकदार था।

13. यह अच्छी तरह से तय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में उच्च न्यायालय हलफनामों पर, तथ्य के विवादित सवालों पर निर्णय नहीं लेता है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि प्रतिवादी प्रकाश चंद्र चौधरी द्वारा प्रस्तावित भूमि फलका ब्लॉक के गिरियामा मौजा के भीतर स्थित थी, विद्वान एकल पीठ ने एक गर्म विवादित तथ्यात्मक मुद्दे का निर्णय लेना शुरू कर दिया, जो उच्च न्यायालय ने अपने रिट अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए नहीं किया।

14. अन्यथा भी, एकल पीठ ने जिला मजिस्ट्रेट सहित राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट की अनदेखी करते हुए अपने पूर्वोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती की, कि प्रतिवादी प्रकाश चंद्र चौधरी की भूमि गिरियामा चौक से फलका की ओर 800 मीटर की दूरी पर स्थित है जो ब्लॉक फलका के भीतर है लेकिन गिरियामा स्थान की सीमा के बाहर है। जिलाधिकारी और अपर समाहर्ता ने साफ कहा कि जमीन निसुंधरा बंगाली टोला से आगे है, जो गिरियामा की सीमा है.

15. किसी भी मामले में, यह मानते हुए भी कि प्रतिवादी प्रकाश चंद्र चौधरी को गलती से शून्य दिया गया था, विद्वान एकल पीठ का आदेश इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तर्क की प्रक्रिया का खुलासा नहीं करता है कि प्रतिवादी प्रकाश चंद्र चौधरी उच्चतम अंकों के साथ उम्मीदवार बन गए थे।

यह मानने का कोई कारण नहीं था कि प्रतिवादी प्रकाश चंद्र चौधरी को ऐसे अंक दिए जाएंगे जो उन्हें पैनल में पहला स्थान दिलाएंगे, जबकि कुल अंक 4 थे और एक मोहम्मद मोजीबुर रहमान, तीसरे सूचीबद्ध उम्मीदवार को 4 में से 4 से सम्मानित किया गया था, जबकि अपीलकर्ता संजय कुमार झा को 2.14 से सम्मानित किया गया था। अभिलेखों से पता चलता है कि अपीलकर्ता संजय कुमार झा की 0.29 एकड़ जमीन फलका गेराबद्री रोड पर गिरियामा चौक से 50 मीटर के भीतर थी, जबकि प्रकाश चंद्र चौधरी की 0.13 एकड़ जमीन गिरियामा चौक से 800 मीटर की दूरी पर स्थित थी। अपीलकर्ता संजय कुमार झा की भूमि क्षेत्रफल में बड़ी थी। बेशक, इन टिप्पणियों को इस न्यायालय के किसी भी तथ्यात्मक निष्कर्ष के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, कि प्रतिवादी प्रकाश चंद्र चौधरी की भूमि गिरियामा के भीतर थी।

16. यह अच्छी तरह से तय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में, उच्च न्यायालय एक सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर अपील की अदालत के रूप में नहीं बैठ सकता है, न ही संजय कुमार झा बनाम प्रकाश चंद्र चौधरी [न्यायधीश इंदिरा बनर्जी] तथ्य की त्रुटि को ठीक करने के लिए खुद के लिए साक्ष्य की पुन: सराहना करें, जो अधिकार क्षेत्र की जड़ तक नहीं जाता है। उच्च न्यायालय आमतौर पर सबूतों के आधार पर तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करता है और अपने स्वयं के निष्कर्षों को प्रतिस्थापित करता है, जो उच्च न्यायालय ने इस मामले में किया है। यह मानते हुए भी कि अचल और चल संपत्ति के संबंध में अंकों की गणना में कोई त्रुटि हुई थी, उच्च न्यायालय प्रतिवादी प्रकाश चंद्र चौधरी के मामले को पुनर्विचार के लिए संबंधित अधिकारियों को भेज सकता था।

17. विद्वान एकल पीठ के दिनांक 8.3.2016 के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 2016 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 855 के रूप में एक अपील दायर की, जिसे अपीलकर्ता, संजय कुमार झा और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा दायर इन अपीलों में अपील के तहत डिवीजन बेंच के दिनांक 24.4.2017 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

18. अपील के तहत आदेश द्वारा, डिवीजन बेंच ने अपील को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि आवंटन फलका रोड पर गिरियामा चौक से एक किलोमीटर के दायरे में गिरितयामा के लिए था। हालांकि, डिवीजन बेंच

ने इस आधार पर कार्यवाही में गलती की कि अपीलकर्ता संजय कुमार झा का प्लॉट गिरत्यामा चौक में स्थित नहीं था और इस तरह विद्वान रिट कोर्ट ने अपने निष्कर्ष को दर्ज करने में कोई त्रुटि नहीं की थी। यह रिकॉर्ड का विषय है कि भूखंडों के संबंध में दो रिपोर्टें थीं, जिनमें से दोनों इस बात की पुष्टि करती हैं कि अपीलकर्ता का प्लॉट गिरियामा चौक के 50 मीटर के भीतर गिरियामा में था, जबकि प्रतिवादी प्रकाश चंद्र चौधरी के मामले में, सर्कल अधिकारी, फलका ने 15.4.2014 के पत्र द्वारा पुष्टि की थी कि उनके द्वारा दी गई भूमि गिरियामा की सीमा से बाहर है। किसी भी मामले में, प्रतिवादी प्रकाश चंद्र चौधरी द्वारा पेश किया गया भूखंड जो 0.13 एकड़ था, अपीलकर्ता संजय कुमार झा की तुलना में 0.29 एकड़ छोटा था।

19. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय प्रशासनिक मामलों में केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब निर्णय न्याय और निष्पक्ष खेल के मौलिक या बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करता है या किसी पेटेंट या प्रमुख त्रुटि से ग्रस्त है। यह सच है कि उच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, पर्याप्त कारणों से कानून की त्रुटि या यहां तक कि तथ्य की त्रुटि को सुधार सकता है, यदि त्रुटि न्याय या निष्पक्ष खेल के मौलिक या बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करती है या यदि त्रुटि स्पष्ट और / या स्पष्ट है, लेकिन अन्यथा नहीं। हालांकि, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां उच्च न्यायालय को एक स्पष्ट तथ्यात्मक त्रुटि मिलती है जो निर्णय की जड़ तक जाती है, कार्रवाई का उचित तरीका संबंधित प्राधिकरण को त्रुटि को सुधारने का अवसर देना होगा। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 14 एस.सी.आर.

यह केवल दुर्लभतम मामलों में है, जहां तथ्यात्मक त्रुटि इतनी स्पष्ट है कि यह न्यायालय द्वारा ही सुधारा जा सकती है, कि न्यायालय देरी और परिणामी इनकार और / या न्याय के गर्भपात को रोकने के लिए, त्रुटि को सुधार सकता है।

20. इस मामले में, पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह दोहराया जाता है कि यह मानते हुए भी कि याचिकाकर्ता की भूमि गिरियामा के भीतर स्थित थी, यह मानने का कोई कारण नहीं था कि याचिकाकर्ता को दिए गए अंक कुल मिलाकर उच्चतम होंगे जब अपीलकर्ता संजय कुमार झा की भूमि गिरियामा चौक के पास स्थित थी और उसकी भूमि का क्षेत्रफल बड़ा था।

21. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को खुदरा आउटलेट के डीलर की नियुक्ति के लिए विभिन्न उम्मीदवारों की उपयुक्तता का तुलनात्मक मूल्यांकन शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय को हमारे विचार से इस तथ्यात्मक प्रश्न पर निर्णय नहीं करना चाहिए था कि प्रतिवादी प्रकाश चंद्र चौधरी की भूमि गिरियामा में थी या नहीं, संबंधित अतिरिक्त कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट और सर्कल अधिकारी की रिपोर्ट के मद्देनजर कि प्रतिवादी प्रकाश चंद्र चौधरी की जमीन फलका ब्लॉक में थी, न कि गिरत्यामा के भीतर। उच्च न्यायालय ने राजस्व अधिकारियों की रिपोर्टों को दरकिनार करने और एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचने में स्पष्ट रूप से गलती की।

22. किसी भी मामले में, जैसा कि ऊपर देखा गया है, डिवीजन बेंच ने स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को स्पष्ट रूप से गलत आधार पर खारिज कर दिया है कि प्रतिवादी प्रकाश चंद्र चौधरी की भूमि गिरियामा चौक के एक किलोमीटर के दायरे में स्थित पाई गई थी, जबकि अपीलकर्ता संजय कुमार झा की भूमि गिरियामा सर्कल के बाहर स्थित थी। जो रिट याचिका में प्रतिवादी प्रकाश चंद्र चौधरी का मामला भी नहीं था। यहां तक कि एकल पीठ ने पाया कि अपीलकर्ता संजय कुमार झा की जमीन गिरियामा के भीतर थी। अपील के तहत निर्णय और आदेश को बनाए नहीं रखा जा सकता है और केवल उसी आधार पर रद्द किया जा सकता है। विद्वान एकल पीठ के आदेश को भी रद्द किया जाता है।

23. तदनुसार, अपील को अनुमति दी जाती है। अपील के तहत निर्णय और आदेश के साथ–साथ एकल पीठ के निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है और रिट याचिका खारिज कर दी जाती है। पक्षकार अपना अपना खर्चा स्वयं वहां करेंगे।

कल्पना के. त्रिपाठी की अपील को अनुमति दी गई।

हिंदी अनुवाद व सत्यापन द्वारा
रेखा रावत
अपर सिविल जज
बरैली